UPBB010048202022

**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई०सी०एक्ट), बाराबंकी।**

**सत्र वाद संख्या–1072/2022**

**सरकार बनाम राम प्रताप।**

मुकदमा अपराध संख्या–118/2016
धारा–135(A) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003
थाना–रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी।

**30.06.2026**

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्त नियत है।

अभियुक्त राम प्रताप के विरूद्ध जारी एन०बी०डब्लू० पर थाना रामसनेहीघाट, बाराबंकी द्वारा इस आशय की आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि राम प्रताप की मृत्यु लगभग दो वर्ष पूर्व हो चुकी है, इस सम्बन्ध में अभियुक्त/मृतक राम प्रताप का ग्राम पंचायत गुनौली के प्रधान के लेटर हेड पर निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। कां० उदित प्रताप सिंह का बयान न्यायालय में बतौर सी०डब्लू० 1 दिनांक 30.06.2026 को अंकित किया गया, जिसने तामिलाकर्ता उ०नि० विमलेश द्विवेदी द्वारा ग्राम पंचायत गुनौली के ग्राम प्रधाना के लेटर हेड पर निर्गत अभियुक्त/मृतक राम प्रताप के मृत्यु प्रमाण पत्र को साबित किया है। अभियुक्त/मृतक राम प्रताप की पत्रावली दाण्डिक वाद सं०–86/2016 सरकार बनाम परशुराम से आदेश दिनांकित 03.08.2022 के अनुपालन में पृथक की गयी थी।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राम प्रताप की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि, अभियुक्त राम प्रताप की पत्रावली पृथक की गयी थी, अतः उसके विरूद्ध मुकदमें की कार्यवाही उपशमित की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

**आदेश**

मु०अ०सं०–118/2016, धारा–135(A) भारतीय विद्युत अधिनियम (संशोधन) 2003, थाना–रामसनेहीघाट, जिला बाराबंकी के प्रकरण में अन्य कोई अभियुक्त न होने के कारण पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

**दिनांक–30.06.2026**

**(सुबाष चन्द्र तिवारी)**
J.O. Code–UP2753
**विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट),**
**बाराबंकी।**

Digitally signed by SUBASH CHANDRA TIWARI
Date: 2026.07.07 16:10:49 IST
Reason: Order
Location: Spl. Judge, E.C. Act, Barabanki